प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर</u>

<u>युगलपीठ</u> **<u>माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा</u>**

<u>माननीय श्री राधे श्याम शर्मा,न्यायाधीशगण</u>

दांडिक अपील <u>संख्या 337/1995</u>

मंगलदास एवं अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय</u>

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा,न्यायाधीश

<u>माननीय श्री राधे श्याम शर्मा,</u>

सही /-

राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीश

निर्णय के लिए पोस्ट

दांडिक अपील संख्या 337/1995

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

युगलपीठ **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा**

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा,न्यायाधीशगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी 1 मंगलदास, आयु 30 वर्ष

2 सुखदास, आयु 40 वर्ष

दोनों पिता धीरकीदास निवासी

ग्राम पंडरभट्टा, थाना धरसींवा, तहसील और जिला रायपुर

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

दांडिक अपील संख्या 337/1995

(दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थिति:

श्रीमती रेणु कोचर, अपीलार्थी की अधिवक्ता

श्री रविंद्र अग्रवाल, राज्य के पैनल अधिवक्ता

दांडिक अपील संख्या 337/1995

निर्णय

(21.09.2011)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा द्वारा पारित किया गया।

(1) यह अपील रायपुर के चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 94/93 में दिनांक 9 जनवरी, 1995 को पारित निर्णय के विरुद्ध है। इस निर्णय द्वारा, अपीलार्थी को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सिद्धदोष करार किया गया है और उन्हें आजीवन कारावास की दंड सुनाई गई है।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

दांडिक अपील संख्या 337/1995

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 27.9.92 को सुबह करीब 9.30 बजे, मृतक गंगाराम विवादित खेत में हल चला रहा था। अपीलार्थी, जो सगे भाई हैं, खेत में गए और गंगाराम से खेत में हल न चलाने को कहा और इस पर आपत्ति जताते हुए, अपीलार्थी ने भैंसों को हल से खोल दिया। इसके बाद मृतक फिर से भैंसों को लाया और उन्हें हल से बांध दिया और फिर से खेत जोतने की कोशिश की। इस पर, अपीलार्थी ने लाठी और छटवार से मृतक पर हमला किया। मृतक को कई चोटें आईं और उन्हीं चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। घटना के 3 चक्षुदर्शी साक्षी साक्षी थे, जिनके नाम हैं- झुलबाई (अभियोजन साक्षी-4 मृतक की पत्नी), मुन्नालाल (अभियोजन साक्षी-7) और भुकलू (अभियोजन साक्षी-11)। पहली सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) संतराम (अभियोजन साक्षी-1) ने दर्ज कराई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, पंचों को सूचना (प्रदर्श-पी/2) दी और मृतक के शव का मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श-पी/3) तैयार किया। मृतक के शव को अनुरोध पत्र (प्रदर्श-पी/17) के अंतर्गत रायपुर के डी.के. अस्पताल में मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा गया। मरणोत्तर परीक्षा डॉ. डी.सी. जैन (अभियोजन साक्षी -9) द्वारा किया गया। उन्होंने मृतक के शव पर निम्नलिखित चोटें देखीं:-

(i) चेहरे के बाएँ भाग पर 2 इंच **x ½** इंच **x ½** इंच का फटा हुआ घाव;

दांडिक अपील संख्या 337/1995

(ii) चेहरे के दाहिने हिस्से पर चोट संख्या 1 के ऊपर 1**½** इंच **x ½** इंच **x ½** इंच का फटा हुआ घाव;

(iii) जबड़े के बाएं हिस्से पर 1**½** इंच **x ½** इंच **x ½** इंच का फटा हुआ घाव;

(iv) बाईं भौंह पर 1**½** इंच **x ½** इंच का फटा हुआ घाव;

(v) माथे के मध्य में 2 इंच **x ½** इंच **x ½** इंच का फटा हुआ घाव;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(vi) खोपड़ी के बाएं हिस्से पर 2 इंच **x ½** इंच **x ½** इंच का फटा हुआ घाव;

(vii) खोपड़ी के मध्य में 2 इंच **x ½** इंच **x ½** इंच का फटा हुआ घाव;

(viii) खोपड़ी के पिछले हिस्से पर 2 इंच **x ½** इंच **x ½** इंच का फटा हुआ घाव;

(ix) बाएं पैर पर 3 इंच **x** 1 इंच **x ½** इंच का फटा हुआ घाव। हड्डियां टूटी हुई पाई गईं।

(x) बाएं पैर के ऊपरी हिस्से पर 2 इंच **x ½** इंच **x ½** इंच का फटा हुआ घाव।

दांडिक अपील संख्या 337/1995

आंतरिक परीक्षण में खोपड़ी की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। शव परीक्षण सर्जन ने राय दी कि चोटें सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं मृत्यु का कारण उपरोक्त चोटों के कारण कोमा था और यह मृत्यु प्रकृति में मानव वध था। मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श-पी /11) है।

आगे की परीक्षण में, अपीलार्थी मंगलदास को अभिरक्षा में लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उसका ज्ञापन कथन (प्रदर्श-पी/9) दर्ज किया गया तथा उसके पास से चटवार जब्त की गई। अन्वेषण के दौरान कई अन्य वस्तुएं भी जब्त की गईं और उन्हें सागर स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया, जहां से एक रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/21) प्राप्त हुई। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, अपीलार्थी मंगलदास के पास से जब्त की गई चटवार सहित कई वस्तुओं पर खून के धब्बे पाए गए। हालांकि उपरोक्त वस्तुओं को सीरोलॉजिकल परीक्षण के लिए (प्रदर्श-पी/22) भेजा गया था, लेकिन कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रेनू कोचर ने तर्क दिया कि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि अपीलार्थी ने मृतक पर हमला किया था; चक्षुदर्शी साक्षी विश्वसनीय नहीं हैं; झुलबाई (साक्षी-4) मृतक की पत्नी होने के नाते एक हितबद्ध साक्षी है, इसलिए उसकी गवाही को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

दांडिक अपील संख्या 337/1995

वैकल्पिक रूप से, उसने तर्क दिया कि अपीलार्थी पिछले 15 वर्षों से विवादित खेत पर स्थायी कब्जे में थे; दोनों पक्षों के बीच भूमि विवाद था; अपीलार्थी और मृतक एक ही परिवार की विभिन्न शाखाओं के सदस्य थे। अपीलार्थी ने पहले मृतक को खेत से हटा दिया और जब मृतक ने दोबारा खेत जोतने की कोशिश की, तो उस पर हमला किया गया। इसलिए, अपीलार्थी ने संपत्ति की आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत कार्य किया और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंड के लिए उत्तरदायी नहीं करार किया जा सकता

(4) दूसरी ओर, राज्य की ओर से प्रस्तुत हुए विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री रविंद्र अग्रवाल ने इन तर्कों का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि सभी चक्षुदर्शी साक्षी विश्वसनीय हैं अपीलार्थी ने आत्मरक्षा के अधिकार का दावा नहीं किया है और यह मामला आत्मरक्षा के अधिकार का नहीं है, इसलिए विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि और दंड देने में पूर्णतः न्यायसंगत निर्णय लिया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(6) झुलबाई (-अभियोजन साक्षी-4) मृतक की पत्नी है। उसने गवाही दी कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह मृतक के साथ विवादित खेत में गई थी। उनके साथ उनका बेटा

दांडिक अपील संख्या 337/1995

राजू भी था। उसका पति विवादित खेत जोत रहा था और वह खेत के पास कांटे (कांटा) साफ कर रही थी। अपीलार्थी वहां आए और उन्होंने भैंसों को उसके पति के हल से खोल दिया। इसके बाद उसके पति ने फिर से भैंसों को लाया और खेत जोतने के लिए उन्हें बांधने की कोशिश की, जिस पर अपीलार्थी ने उसके पति पर हमला कर दिया। अपीलार्थी सुखदास के पास लाठी थी और अपीलार्थी मंगलदास के पास टांगिया था। उसने प्रति परीक्षा में स्वीकार किया कि अपीलार्थी उसके पति के चाचा के बेटे हैं। विवादित खेत को लेकर अपीलार्थी और उसके पति के बीच एक वाद चल रहा है। उसने आगे स्वीकार किया कि विवादित ज़मीन पिछले 10-15 सालों से अपीलार्थी के कब्ज़े में थी और अपीलार्थी उस खेत में फसल बो रहे थे और उन्होंने मृतक को कभी भी खेत जोतने नहीं दिया क्योंकि अपीलार्थी दावा कर रहे थे कि वह उनका खेत है और वे मृतक को उस खेत में घुसने नहीं देंगे। उसने यह भी स्वीकार किया कि लगभग हर साल उन्होंने ज़बरदस्ती खेत में घुसने की कोशिश की, लेकिन अपीलार्थी उनका विरोध करते थे, इसलिए वे खेत पर कब्ज़ा नहीं कर पाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) मुन्नालाल (अभियोजन साक्षी-7) एक आहत साक्षी है। उसने भी गवाही दी कि मृतक पर अपीलार्थी ने हमला किया था। उसने प्रति परीक्षा में यह भी स्वीकार किया कि विवादित खेत पर अपीलार्थी का कब्ज़ा था और अपीलार्थी और मृतक के बीच विवाद चल रहा था।

दांडिक अपील संख्या 337/1995

(8) भुक्लू (अभियोजन साक्षी-11) ने भी झुलबाई (अभियोजन साक्षी-4) और मुन्नालाल (अभियोजन साक्षी-7) की गवाही का समर्थन किया है कि अपीलार्थी ने विवादित खेत में मृतक पर हमला किया था।

(9) ऊपर बताए गए चक्षुदर्शी साक्षी गवाहों की गवाही की पुष्टि डॉ. डी.सी. जैन (अभियोजन साक्षी-9) की मेडिकल रिपोर्ट से होती है, जिन्होंने ऊपर बताई गई चोटें देखी थीं।

(10) हालांकि ऊपर बताए गए चक्षुदर्शी साक्षी से प्रत्यर्थी ने लंबी प्रति परीक्षा की है, लेकिन प्रत्यर्थी ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे या तो उनकी गवाही को खारिज किया जा सके या यह कहा जा सके कि वे अविश्वसनीय साक्षी थे और उन्होंने मिथ्या आरोपों पे इस अपराध में फंसाया था। श्रीमती रेनू कोचर ने तर्क दिया है कि झुलबाई (अभियोजन साक्षी-4) मृतक की पत्नी थी, इसलिए वह एक हितबद्ध साक्षी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि सिर्फ इसलिए कि चक्षुदर्शी साक्षी परिवार के सदस्य हैं, उनकी गवाही को सीधे तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। रिश्ता किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने का कारण नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाएगा। अगर मिथ्या फंसाने का आरोप लगाया जाता है, तो उसका आधार बताना होगा। ऐसे मामलों में, कोर्ट को सावधानी से काम लेना होता है और साक्ष्य का विश्लेषण करके यह पता लगाना होता है कि वे ठोस और विश्वसनीय हैं या नहीं **(हरबंस कौर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, 2005 एआईआर एससी 2074;**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दांडिक अपील संख्या 337/1995

नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2007 एआईआर एससी 1835 और सोनेलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2008 एआईआर एससी 79881) हमने झुलबाई (अभियोजन साक्षी-4) और दूसरे गवाहों के साक्ष्य की बहुत सावधानी से परीक्षण की है और हम उनके साक्ष्य में कोई अवैधता नहीं पाते हैं । यह दिन के समय की घटना थी, सब एक-दूसरे को जानते थे। गवाहों की उपस्थिति पर भी संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि अभियोजन साक्षी-4 अपने पति के साथ अपने घर से आई थी और दूसरे साक्षी पास के खेतों में काम कर रहे थे। इसलिए, यह बिना किसी संदेह के प्रमाणित हो गया कि अपीलार्थी ने विवादित खेत में मृतक पर हमला किया, जिससे कई चोटें आईं और उन्हीं चोटों के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) अब हम आत्मरक्षा के अधिकार से जुड़े तर्कों पर विचार करेंगे।

(12) विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मरक्षा के अधिकार का तर्क नहीं दिया था, इसलिए इसे अपील में तर्क के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। **काशी राम और अन्य - बनाम- मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 2001 एससी 2902** में, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि हालांकि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 105 सबूत का भार के बारे में एक नियम बनाती है, लेकिन इसका यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आत्मरक्षा का दावा विशेष रूप से किया जाना चाहिए और यदि नहीं किया गया है तो मामले में उपलब्ध साक्ष्यों से सिद्ध होने पर भी इस पर विचार नहीं किया जाएगा। आत्मरक्षा का दावा अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रतिपरीक्षण में या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

दांडिक अपील संख्या 337/1995

313 के अंतर्गत दर्ज किए गए आरोपी व्यक्तियों के बयान में या बचाव पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करके किया जा सकता है। और, यदि इन तीनों तरीकों में से किसी एक में भी दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब भी मामले में मौजूद संभावनाओं और परिस्थितियों पर अवलंब लेते हुए इसे तर्क के दौरान उठाया जा सकता है।

(13) संपत्ति की आत्मरक्षा का अधिकार मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित है, इसका प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 103 में किया गया है। धारा 99 में उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन, संपत्ति की आत्मरक्षा का अधिकार अपराधकर्ता को स्वेच्छा से मृत्यु या कोई अन्य हानि पहुँचाने तक विस्तारित है, यदि वह अपराध, जिसके करने या करने का प्रयास करने से इस अधिकार का प्रयोग होता है, निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार का अपराध हो, अर्थात्:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पहला- लूट;

दूसरा- रात्रि गृह भेदन;

तीसरा, किसी भवन, तम्बू या पोत पर आग लगाकर रिष्टि कारित करना, जिसका उपयोग मानव निवास के रूप में या संपत्ति की सुरक्षा के स्थान के रूप में किया जाता हो;

चौथा। चोरी, रिष्टि या गृह-अतिचार, ऐसी परिस्थितियों में कि यदि आत्मरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है जो उचित रूप से आवश्यक हो, तो मृत्यु या गंभीर उपहति परिणाम हो सकती है।

दांडिक अपील संख्या 337/1995

(14) जब ऐसा अधिकार मृत्यु के अलावा किसी अन्य प्रकार की हानि पहुँचाने तक विस्तारित होता है, तो इसका प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 104 में किया गया है। यदि वह अपराध, जिसके घटित होने या घटित होने के प्रयास से आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग होता है, चोरी, उपद्रव या आपराधिक अतिचार हो, जो पिछली धारा में वर्णित किसी भी प्रकार का न हो, तो वह अधिकार स्वेच्छा से मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित नहीं होता है, परन्तु धारा 99 में उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, अपराधी को स्वेच्छा से मृत्यु के अलावा किसी अन्य प्रकार की हानि पहुँचाने तक विस्तारित होता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(15) वर्तमान मामले में, यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि विवादित खेत पिछले 10-15 वर्षों से अपीलार्थीओं के कब्जे में था। वे उस पर खेती कर रहे थे। अपीलार्थी लंबे समय से दावा कर रहे थे कि विवादित खेत उनकी संपत्ति है और वे मृतक को अपने कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। ये सभी बातें झुलबाई (अभियोजन साक्षी -4) के साक्ष्य में स्वीकार की गई हैं। झुलबाई (अभियोजन साक्षी-4) ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त खेत से संबंधित अपीलार्थीओं और उनके पति के बीच एक मामला लंबित था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पहले उनके पति पर विवादित खेत से संबंधित फसल काटने के दांडिक मामले में वाद चलाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि घटना वाले दिन मृतक ने भैंसों से हल चलाकर खेत जोतना शुरू किया। जब अपीलार्थीओं को इसकी जानकारी मिली, तो वे खेत में गए और मृतक से खेत न जोतने के लिए कहा और उसके बाद उन्होंने भैंसों को हल से खोल दिया।

दांडिक अपील संख्या 337/1995

इसके बाद, मृतक फिर से भैंसों को खेत में ले आया और उन्हें हल से बांधने की कोशिश की और खेत जोतने का प्रयास भी किया। इसी घटना पर अपीलार्थीओं ने मृतक पर लाठी और चटवार से हमला किया, जो आमतौर पर ग्रामीणों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। अपीलार्थी विवादित खेत पर स्थायी कब्जे में थे, और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी संपत्ति की रक्षा के अधिकार के अंतर्गत मृतक पर हमला किया। प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थीओं को मृत्यु का कारण बनने की सीमा तक संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार था या उनका अधिकार मृत्यु के अलावा अन्य हानि पहुँचाने तक ही सीमित था? इस प्रश्न का उत्तर हमें भारतीय दंड संहिता की धारा 103 और 104 में मिल सकता है। निजी रक्षा का अधिकार उन परिस्थितियों में मृत्यु का कारण बनने तक विस्तारित है जिनका उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 103 में किया गया है, जिसमें "आपराधिक अतिचार" शामिल नहीं है, जो वास्तव में मृतक ने इस मामले में किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(16) भारतीय दंड संहिता की धारा 304 हत्या न करने योग्य गैर-इरादतन हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है। यह उन मामलों में दंड के बीच अंतर करती है, जहां हत्या का आशय मौजूद होने पर, यदि यह कृत्य धारा 300 के अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत न आता, तो हत्या की श्रेणी में आता, और उन मामलों में जहां अपराध हत्या न करने योग्य गैर-इरादतन हत्या है, अर्थात्, जहां यह ज्ञान है कि मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु का कारण बनने का इरादा, या मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट, अनुपस्थित है। धारा 304 का पहला भाग इरादे की

दांडिक अपील संख्या 337/1995

स्थिति में लागू होता है, जबकि दूसरा भाग जानकारी की स्थिति में लागू होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 304 के किसी भी भाग के अंतर्गत आरोपी को दोषी ठहराने से पहले, यह देखा जाना चाहिए कि उसके द्वारा धारा 300 के पांच अपवादों में उल्लिखित किसी भी परिस्थिति में मृत्यु हुई हो, जिसमें शक्ति से वंचित रहते हुए हुई मृत्यु भी शामिल है। गंभीर और अचानक उकसावे की स्थिति में, आत्म-संयम बरतना, सद्भावनापूर्वक व्यक्ति या संपत्ति की रक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय, और बिना पूर्वचिंता के आवेश में अचानक हुई लड़ाई में, यह एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी कार्य को करने के संभावित परिणामों का ज्ञान, उस इरादे से बिल्कुल भिन्न है जो यह दर्शाता है कि कोई विशेष परिणाम अवश्य होगा। धारा 304 के पूर्व भाग को लागू करने के लिए इरादे का तत्व आवश्यक है, जबकि बाद वाले भाग को लागू करने के लिए ज्ञान का तत्व आवश्यक है। इरादा किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी कार्य को करना है, जबकि ज्ञान वह जागरूकता है जो इस बात की सुस्पष्ट जानकारी प्रदान करती है कि किसी कार्य को करने से कोई विशेष परिणाम हो सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(17) वर्तमान मामले में, हमारा मत है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थीओं ने मृतक की मृत्यु कारित करके संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया है, क्योंकि मृतक ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जिसके आधार पर अपीलार्थीओं को धारा 103 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ऐसा अधिकार प्राप्त होता। अपीलार्थीओं को मृतक को कोई अन्य हानि पहुंचानी चाहिए थी, न कि धारा 104

दांडिक अपील संख्या 337/1995

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके उसकी मृत्यु करनी चाहिए थी, और इस प्रकार, अपीलार्थीओं का कृत्य संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का उल्लंघन था। हमारा मत है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है और अपीलार्थी धारा 304 भाग-II भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड के पात्र होंगे।

(18) उपरोक्त कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीओं को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दी गई सजा और दोषसिद्धि अपास्त की जाती है। इसके स्थान पर, अपीलार्थीओं को धारा 304 भाग-II/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सिद्धदोष किया जाता है और उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। अपीलार्थी पहले से भुगते गए कारावास की अवधि को समायोजित करने के पात्र होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /- **सही /-**

सुनील कुमार सिन्हा,न्यायाधीश **राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीश**

दांडिक अपील संख्या 337/1995

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: Adv. Vaibhav Singh Rathore

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur